

## फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) एवं उपखण्ड अधिकारी मावली, उदयपुर

आदिवासी खान समिक विपक्षी तुलसी

मुकदमा

53 P.A. 10/11

पत्रावली संख्या 193/21 सन

क	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
---	-----------------	---

27/5/26

पत्रावली पेरा हुई। अधिवक्ता वादी मधु स्वयं वादी अनुपस्थित। स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाजें दिलवाई गई। समय साँय 5:00 PM हो चुके हैं। स्वयं वादी एवं उनके अधिवक्ता अब तक अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता वादी मधु स्वयं वादी अनुपस्थित रहने पर वादी का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल श्रुमार लेकर नम्बर से कम हो।

निर्णय चुले न्यायालय सुनाया गया।



सहायक कलक्टर  
(SDO) मावली